D 32/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

21 NOV 2014

मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 591321





दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

हम कि कुवंर बाबू सिंह पुत्र श्री राम गोपाल सिंह व श्रीमती संजू सिंह पत्नी श्री कुवंर बाबू सिंह ग्राम व पोस्ट सेमराबरहो (मइर्ईपुर) ब्लाक राजगढ़ जिला मिर्जापुर उ0प्र0 व हाल पता ग्राम अखरी, (विशाल नगर कालोनी) पोस्ट- कुरहुआं थाना रोहनिया तहसील सदर,जनपद वाराणसी, उ0प्र0 पिन नं0- 221011 इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 21.11.2014 को अस्तित्व में लाया गया हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय, अध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा स्वास्थ सुरक्षा, स्वास्थ शिक्षा, गरीबो के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगो का उत्थान करने में विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। हम कुवंर बाबू सिंह संस्थापक ट्रस्ट प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व श्रीमती संजू सिंह पत्नी कुवंर बाबू सिंह महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए बाबू कुवंर सिंह ग्रामीण गरीब एकेडमिक ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबन्धो के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास)का नाम- बाबू कुवंर सिंह ग्रामीण गरीब एकेडमिक ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता- ग्राम अखरी (विशाल नगर कालोनी)

पोस्ट कुरहुआं

थाना रोहनिया

4205

क्रमांक .....

स्टाम्प विक्रय की तिथि 22/11/2014

स्टाम्प क्रय करने की प्रतिनिधि 815

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ..... कुवर बाबू सिंह

स्टाम्प की धनराशि ..... 5001 ..... विशालनगर कालोनी आखरी वाराणसी

स्टाम्प विक्रेता का नाम - श्री मति पूजा सिंह

लाइसेन्स नम्बर - 244 पूजा

लाईसेन्स की अवधि -

अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता - कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी

इस्ट डीड/-पास पत्र

[redacted]

[redacted] मुल्क प्रतिक्षिप्त [redacted]

510 29 530 1000

[redacted] लेखपत्र की श्री/श्रीमती कुवर बाबू सिंह पुत्र श्री [redacted] सिंह

[redacted] विशाल सेमरा बरहो (मुहब्बत) नगर कालोनी मिल

[redacted] वाराणसी में कार्यालय [redacted]

[redacted] में आज दिन 22/11/14

[redacted] 4 बजे दिन के [redacted]

[redacted]

22/11/14

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

Chief Treasury Officer
VARANASI
21 NOV 2014
मुख्य कोषाधिकारी
वाराणसी

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2. U 591320

तहसील सदर

जनपद वाराणसी

पिन 221011

मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय ग्राम अखरी, (विशाल नगर कालोनी) पोस्ट– कुरहुआं थाना रोहनिया तहसील सदर,जनपद वाराणसी, उ0प्र0 पिन नं0– 221011 आवश्कतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये है।

1. कुवंर बाबू सिंह पुत्र श्री राम गोपाल सिंह ग्राम व पोस्ट सेमराबरहो (मइईपुर) ब्लाक राज़गढ़ जिला मिर्जापुर उ0प्र0 व हाल पता ग्राम अखरी, (विशाल नगर कालोनी) पोस्ट– कुरहुआं थाना रोहनिया तहसील सदर,जनपद वाराणसी, उ0प्र0 पिन नं0– 221011
2. श्रीमती संजू सिंह पत्नी कुवर बाबू सिंह (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय) पता उपरोक्त
3. कृष्ण कान्त सिंह पुत्र विजय कुमार (विन्द्रावन) सुसवाही, थाना लंका जिला वाराणसी
4. सुरेश कुमार सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह ग्राम धनसिरीया (सतौहा) पोस्ट राजगढ़ जिला मिर्जापुर
5. समीर सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह ग्राम सेमराबरहो (मइईपुर) जनपद मिर्जापुर

ट्रस्ट का नाम– बाबू कुवंर सिंह ग्रामीण गरीब एकेडमिक ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता– ग्राम अखरी (विशाल नगर कालोनी)
पोस्ट–कुरहुआं, थाना रोहनिया तहसील–सदर
जनपद वाराणसी पिन 221011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

Executive Magistrate Treasury Officer
VARANASI
21 NOV 2014

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 591319

3.

ट्रस्ट का मुख्यालय– ग्राम अखरी (विशाल नगर कालोनी) पोस्ट–कुरहुआं, थाना रोहनिया तहसील–सदर जनपद वाराणसी

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, सस्कृत महाविद्यालय, नर्सिग संसीन चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य शिक्षा संस्थानो आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अचंल में मध्यम व कमजोर वर्ग साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवासायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करन तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानो की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक सस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन मध्यम व समाज कि दबे कूचले लोगो को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को उँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओ हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं उसका संचालन करना खादी ग्रामोद्योग द्वारा गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओ हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास सांस्कृतिक केन्द्र, अध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, बृद्धा आश्रम आदि का संचालन करना नारी उत्थान, बलोत्थान कुष्ठरोगी, अस्पताल प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना सामाजिक पत्रिका, अखबार लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओ को खेलना एवं संचालन करना, नर्सिग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रिय प्रशासन का समय साधन से

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
Sub-Registrar Officer
VARANASI
21 NOV 2014
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL
तर प्रदेश UTTAR PRADESH
U 591317

इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाष, धर्मार्थ कार्य लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, संस्कृति , मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा न्याय एवं विधायी संस्थयें, नियोजन निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैकिंग भाषा मुछण एवं लेखन, भूमि विकास एवंज ल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, एवं जनसम्पर्क अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं, स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, वैधिक कल्याण, संस्थागत वित एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिग, ललित कला, चित्रकला वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत नाट्क स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनओं में लगाना।

ट्रस्ट का कार्यकाल– ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 591316

रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी की प्रथम पत्नी/पुत्र/ पुत्रवधू/ पुत्रीः क्रमशः जो भी संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगें, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता– बाबू कुवंर सिंह ग्रामीण गरीब एकेडमिक ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21,1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 5 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से 51,000.00/– (इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम वंशावली पर लागू नही होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमे ट्रस्ट द्वारा सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार अर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से 51,000.00/– (इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्ध नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्ध को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 103353

7.

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम–

1. सरंक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यकत निर्देश देगा।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यन्वित करना।
6. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।
8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओ के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।
9. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
10. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म एसेसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 103352

11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12. संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा।

13. किसी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्याय के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

<u>महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–</u>

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति मे उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
3. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना।
4. नये सदस्यो के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CB 103351

5. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
6. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) से नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

<u>सदस्य ट्रस्टी–</u>

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों मे भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

<u>ट्रस्ट (न्यास) के अंग–</u>

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1– साधारण सभा

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

<u>साधारण सभा (गठन)–</u> साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 51,000.00रू0 संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगें



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CB 103350

एवं इनकी अधिकतम संख्या,9 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

बैठकें–

1. साधारण बैठके– ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी बुलाई जा सकती है।
2. विशेष बैठक– दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सुचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टी की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 279644

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिनमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य कमेंटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रबन्ध पर संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यलय समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालतीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से समिति बैठक बुलायेगा।

विशेष – विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यो की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंक अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपुर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यो के 2/3 के बहूमत से भरा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BC 279645

12

जायेगा जिसमें ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है, यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी भरने के लिए लागू नही होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000.00 रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1. बैठक बुलाना अथवा विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन निष्कासन पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्श्निक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली मे संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बचाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर मे रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 279646

13

संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचाल का उत्तरदायित्व-
ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-
ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे-सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26. बाबू कुवंर सिंह ग्रामीण गरीब एकेडमिक ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रु0 51,000.00 (इक्यावन हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28. ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 279647

14.

29.ए– हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राईमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डीग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नाकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक,आद्यौगिक संस्थानों/केन्द्रो आदि का स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29.बी– संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29.सी– केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पिड़ीत लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि। संस्था अपने उदद्श्यो/लक्ष्यों के पूर्ति के लिए सरकारी/गैर सरकारी बैंकों से लेन–देन (ऋण) आदि ले सकती है।

29.डी– आयकर अधिनियम 1961की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक :– 22-11-2014

दस्तखत गवाह

1. धनन्जय तिवारी S/o - श्री मोहर तिवारी विशाल नगर कालोनी -II अवारी वाराणसी

2. शिवपूजन S/o स्व० बलिराम प्रसाद नगर पंचायत गंगापुर - वाराणसी

क्रम क्रमांक..... 2702-
स्टाम्प विक्रय की तिथि..... 22-11-2014
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..... डीड
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..... कुंवर बाबू सिंह
विशालनगर कालोनी अरबी-कोयली
स्टाम्प की धनराशि..... 50/-

SUNIL KUMAR GUPTA
Stemp Vendor
civil court - VNS.
Reg. No. 9/138/25/48

आज दिनांक 22/11/14 को फोटो स्टेट का
पुस्तक संख्या 16 खण्ड 9 के पृष्ठ 353/380
पर क्रम संख्या 32 पर रजिस्ट्री की गयी

उपनिबन्धक
गंगापुर-वाराणसी